भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2200**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023/24 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उत्पादन में निवेश

2200. डॉ शशि थरूर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वाली उर्वरक उत्पादन सुविधाओं में नया निवेश करने में अनिच्छा दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विगत कुछ वर्षों में कई सीपीएसई उर्वरक उत्पादन सुविधाएं/इकाइयां बंद हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) नीति के अनुसार उर्वरक क्षेत्र को गैर-रणनीतिक क्षेत्र के भाग के रूप में शामिल करने के क्या कारण है;

(ड.) क्या यह सच है कि देश के गैर-रणनीतिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का जहां कहीं भी संभव हो, निजीकरण करने पर विचार किया जा रहा है अन्यथा जिन्हें बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ऐसे कदमों से निजी क्षेत्र के निगमों को कृषि से जुड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करने का अवसर मिलेगा जिससे देश में छोटे और सीमांत किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वनिक क्षेत्र के उद्यम देश में उर्वरक उत्पादन सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का उपयोग करके विभिन्न परियोजनाओं में नए निवेश कर रहे हैं।

(ग): वर्ष 2019 से कोई सीपीएसई उर्वरक उत्पादन सुविधा इकाई बंद नहीं की गई है।

(घ) और (ङ): दिनांक 04.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीआईपीएएम द्वारा जारी आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति के अनुसार, उर्वरक क्षेत्र को गैर-कार्यनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कहा गया है कि गैर-कार्यनीतिक क्षेत्रों में, यदि उद्यम लाभ नहीं कमा रहे हों, तो जहां संभव हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण के लिए विचार किया जाएगा, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने पर विचार किया जाएगा।

(च): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्यनीतिक विनिवेश समाज को व्यापक रूप से प्रदान की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में बाधा नहीं डालता है क्योंकि निजीकृत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विनिवेश के पश्चात अपनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना जारी रखता है क्योंकि केवल एक शेयरधारक से दूसरे शेयरधारक को स्वामित्व का अंतरण होता है और केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम कार्य करना जारी रखता है। इसके अतिरिक्त, सीपीएसई के कार्यनीतिक विनिवेश से कंपनी की अधिक प्रगति, अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करने की उम्मीद होती है। किसानों को प्रचलित राजसहायता तंत्र के तहत राजसहायताप्राप्त उर्वरक प्राप्त होते रहेंगे।

***